प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 08.09.2021

लूट की योजना बना रहे 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, 02 अदद अवैध तमंचा, 06 अदद कारतूस बरामद (थाना रानीगंज)

दिनांक 03.09.2021 को थाना रानीगंज में राहुल प्रकाश तिवारी पुत्र राज नारायण तिवारी निवासी सुजहा थाना रानीगंज, प्रतापगढ़ द्वारा यह सूचना दी गई कि वह थाना क्षेत्र रानीगंज के सुलतानपुर में स्थित बैंक आफ बडौदा शाखा से मोटर साइकिल से अपने घर टाईनी शाखा खोलने के लिए जा रहा था कि रास्ते में ग्राम अतरी मुर्गी फार्म के पास दो व्यक्तियों द्वारा उसे असलहा दिखाकर रोकने का प्रयास किया गया लेकिन उक्त व्यक्ति वहां रूका नहीं और अपनी जान बचाकर मौके से भागा, इस पर उक्त बदमाशों द्वारा जान से मारने की नीयत से उस पर फायरिंग की गई, गोली मोटर साइकिल के पहिये में लगी थी, जैसे–तैसे वह वहां से भाग निकला। वादी की इस सूचना पर थाना रानीगंज पर मु0अ0सं0 469/2021 धारा 307, 286 भादंवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

उक्त मुकमदें की विवेचना/संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा था कि इसी क्रम में, थाना रानीगंज से थानाध्यक्ष अनिल कुमार पाण्डेय मह हमराह को देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास के द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र रानीगंज के ग्राम मुआर अधारगंज में नहर के पास स्थित बगिया में कुछ व्यक्ति कोई आपराधिक घटना कारित करने के आशय से इकट्ठा हैं। इस सूचना पर उक्त पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र रानीगंज के ग्राम मुआर अधारगंज में नहर के पास स्थित बगिया से 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जब कि 02 व्यक्ति भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अदद तमंचा 12 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 04 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि दिनांक 03.09.2021 को हमनें योजनाबद्ध तरीके से थाना क्षेत्र रानीगंज के सुलतानपुर में स्थित बैंक आफ बडौदा शाखा से मोटर साइकिल से अपने घर जा रहे टाईनी शाखा संचालक की सूचना अपने दो अन्य साथियो को दी थी। उनके द्वारा उक्त टाईनी शाखा संचालक से लूट का प्रयास किया गया था, लूट न होने पर उनके द्वारा टाईनी शाखा संचालक पर फायरिंग भी की गई थी पर वह बच गया था। आज हम लोग यहां इकट्ठा हुए थे और कोई घटना कारित करने की योजना बना रहे थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। मौके से जो दो लोग फरार हो गये हैं वे हमारे वही साथी थे जिनके द्वारा उक्त टाईनी शाखा संचालक से लूट का प्रयास/फायरिंग की गई थी।

नोट– मौके से फरार दोनों अभियुक्तों को चिह्नित कर लिया गया है, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण/पंजीकृत अभियोग/गिरफ्तारी का स्थान–</u>

मो0 गुफरान पुत्र मो0 रिजवान निवासी पूरनपूर पटखान, थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़
पंजीकृत अभियोग– मु0अ0सं0 480/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
गिरफ्तारी का स्थान– ग्राम मुआर अधारगंज में नहर के पास थाना रानीगंज, प्रतापगढ़।

रिजवान उर्फ अब्दुल रज्जाक पुत्र जान मोहम्मद निवासी पूरे चरन थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़
पंजीकृत अभियोग– मु0अ0सं0 481/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
गिरफ्तारी का स्थान– ग्राम मुआर अधारगंज में नहर के पास थाना रानीगंज, प्रतापगढ़।

अकील पुत्र वकील निवासी गम्भीरपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़
पंजीकृत अभियोग– मु0अ0सं0 482/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
गिरफ्तारी का स्थान– ग्राम मुआर अधारगंज में नहर के पास थाना रानीगंज, प्रतापगढ़।

<u>पुलिस टीम–</u> थानाध्यक्ष श्री अनिल कुमार पाण्डेय, उ0नि0 आर0के0 पाण्डेय, हे0कां0 इरफान अहमद, कां0 रवि सिंह व कां0 यतेन्द्र कुमार थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

<u>हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त द्वारा पुलिस अभिरक्षा से भागने का किया गया असफल प्रयास (थाना रानीगंज)</u>

कल दिनांक 07.09.2021 थाना रानीगंज में मु0अ0सं0 355/2021 धारा 147, 148, 149, 120बी, 323, 307 भादंवि से संबंधित वांछित अभियुक्त शुभम मिश्रा पुत्र स्व0 मनोज कुमार मिश्रा निवासी रामगढ़ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़, जिसे थाना रानीगंज पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में गिरफ्तार किया गया था एवं उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था। जब उसे माननीय न्यायालय ले जाने हेतु थाने से बाहर निकाला गया तो उक्त अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा से भाग निकला और पास के ही एक बाजरे के खेत में छिप गया। उक्त अभियुक्त का पीछा करते हुए पुलिस टीम द्वारा कॉबिंग कर अभियुक्त को पुनः बाजरे के खेत से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पुलिस अभिरक्षा से भागने के संबंध में थाना रानीगंज पर मु0अ0सं0 779/2021 धारा 224 भादंवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

20 लीटर अवैध कच्ची देसी शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना सांगीपुर)

जनपद के थाना सांगीपुर से उ0नि0 अरविन्द कुमार उपाध्याय मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना क्षेत्र के ग्राम शुकुलपुर से एक व्यक्ति राम सेवक पुत्र स्व0 रामफेर निवासी शुकुलपुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को 20 लीटर अवैध कच्ची देसी शराब व शराब बनाने के उपकरण (पतीला, पाइप, लोहे का चूल्हा, रसोई गैस सिलेण्डर) के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 214/2021 धारा 60(2) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना जेठवारा)

जनपद के थाना जेठवारा से उ0नि0 राजीव कुमार मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 363/2021 धारा 307, 323, 504, 506 भादंवि से संबंधित 02 वांछित अभियुक्त 01. भोलानाथ 02. विजय बहादुर पुत्रगण मेवालाल निवासीगण रामबक्श का पुरवा, बिकरा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर से गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 08.09.2021